

एफ. सं. ए-22012/07(I)/2012-सीएलएस-आई

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,

नई दिल्ली दिनांकित 30 जनवरी, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय श्रम सेवा के अधिकारियों के विभिन्न ग्रेड के पोस्टिंग/स्थानांतरण के संदर्भ में नीतिगत दिशानिर्देश

अधोहस्ताक्षरी को इस मंत्रालय की कार्यालय ज्ञापन संख्या ए.12034/1/87-सीएलएस-| दिनांक 14/04/1988 और कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-22012/07/(I)/2012-सीएलएस-| को संदर्भ में लेने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें विभिन्न मामलों में संशोधित नीतिगत दिशा-निर्देश को जारी करने और केंद्रीय श्रम सेवा के विभिन्न ग्रेड के पोस्टिंग/स्थानांतरण से संबंधित सामान्य नीती शामिल है:

- i. केंद्रीय श्रम सेवा (सीएलएस) से संबंधित अधिकारियों का स्थानांतरण और पोस्टिंग इन प्रतिष्ठानों/कार्यालयों के नियमित कर्मचारियों की संख्या के अनुसार प्राधिकृत केंद्रीय श्रम सेवा के स्वीकृत पदों हेतु भारत के किसी भी भाग में भाग लेने वाले मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत प्रतिष्ठानों/कार्यालयों में किया जाना चाहिए। पोस्टिंग केन्द्रीय श्रम सेवा के सभी विभिन्न प्रकार के सौंपे गए काम के लिए व्यक्तिगत अधिकारियों को बेनकाब करने की जरूरत को ध्यान में रखकर की जाएगी;
- ii. सीएलएस के तीन धाराओं अर्थात्; सीएलसी (सी) की अध्यक्षता में केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम), डीजीएलडब्ल्यू और केंद्रीय पूल (फैक्टरी साइड) श्रम कल्याण खंड के बीच सीएलएस अधिकारियों को विनियमित/आवर्तित किया जायेगा। तदनुसार, नीचे वर्णित पदों के अधिकारियों को तीन धाराओं के बीच आवर्तित किया जाएगा;

सीआईआरएम में सहायक श्रम आयुक्त (सी), श्रम कल्याण खंड में सहायक कल्याण आयुक्त (सी), केंद्रीय पूल (फैक्टरी साइड) श्रम कल्याण आयुक्त (सी) और मंत्रालय में सहायक निदेशक;

सीआईआरएम में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (सी), श्रम कल्याण खंड में उप कल्याण आयुक्त (सी) और केंद्रीय पूल(फैक्टरी साइड) में उप श्रम कल्याण आयुक्त (सी);

सीआईआरएम में उप मुख्य श्रम आयुक्त (सी), श्रम कल्याण खंड में कल्याण आयुक्त

(सी), केंद्रीय पूल (फैक्टरी साइड) में श्रम कल्याण आयुक्त (सी) और सीआईआरएम में निदेशक (प्रशिक्षण);

- iii. विशेष पोस्ट में सीएलएस अधिकारी की पोस्टिंग का न्यूनतम कार्यकाल आम तौर पर दो वर्ष से कम नहीं होगा, बशर्ते कि अधिकारी के खिलाफ दुराचरण का कोई गंभीर शिकायत न हो या न्यूनतम कार्यकाल के पूरा होने से पहले उन्हें स्थानांतरित करने के लिए जनहित में उपाय हो।
- iv. न्यूनतम कार्यकाल के पूरा होने से पहले केन्द्रीय श्रम सेवा के अधिकारियों का कोई भी स्थानांतरण/पोस्टिंग केवल इस तरह के स्थानांतरण/पोस्टिंग के कारणों के बाद किया जाएगा, जिसकी जांच स्थानांतरण समिति द्वारा की जाएगी और इसकी सिफारिशों की पुष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाती है।
- v. पोस्ट/स्थापना में हर सीएलएस अधिकारी के लिए अधिकतम कार्यकाल एक स्थान पर 04 साल और 08 साल के लिए किया जाएगा। इस कार्यकाल पोस्टिंग के लिए कोई अपवाद केवल सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ प्रशासनिक मजबूरियों की वजह से असाधारण परिस्थितियों में किया जा सकता है।
- vi. विशेष पद/प्रतिष्ठान में पोस्टिंग के कार्यकाल के पूरा होने पर तीन धाराओं अर्थात् सीआईआरएम, श्रम कल्याण विंग और केंद्रीय पूल (फैक्टरी साइड) के बीच जेटीएस और एसटीएस ग्रेड में सीएलएस अधिकारियों का अनिवार्य आवर्तन होगा। ताकि एक्सपोजर के लिए उन्हें सामान अधिकार और संवर्ग के बेहतर प्रबंधन के लिए सभी तीन धाराओं में अनुभव प्राप्त हो सके। बड़े सार्वजनिक हित में किसी अपवाद कि जांच स्थानांतरण समिति के सिफारिश पर किया जायेगा जोकि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
- vii. सीएलएस अधिकारी जो एक वर्ष के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनकी सेवा बाधित नहीं कि जाएगी। यदि इसतरह का अनुरोध लिखित रूप से प्राप्त होता है तो;
- viii. शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पहले वार्षिक स्थानांतरण/पोस्टिंग ऑर्डर सामान्य रूप से जारी किया जाएगा। लेकिन जन हित ओआईआर और उच्च श्रेणी की पदोन्नति के मामले में, प्रशासनिक अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए किसी अपवाद की स्थिति में कभी भी किया जा सकता है।
- ix. वास्तविक मामलों में, सीएलएस अधिकारी अपने पसंद के स्थान के अनुसार स्थानांतरण/पोस्टिंग के लिए अभ्यावेदन कर सकते हैं लेकिन उचित माध्यम से वार्षिक स्थानांतरण पोस्टिंग से पहले हर साल फरवरी/मार्च के दौरान विशेष पोस्ट के स्थानांतरण/पोस्टिंग के लिए अभ्यावेदन नहीं कर सकते हैं। उपरोक्त आचरण नियमों के अंतर्गत निर्धारित चैनलों के लिए किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में अधिकारी स्थानांतरण

स्वीकृति/डीए इत्यादि पाने के हकदार नहीं होंगे। पसंदीदा नियुक्ति के लिए किए गए ऐसे अभ्यावेदन पर विचार प्रशासनिक व्यवहार्यता और रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। वार्षिक स्थानांतरण/पोस्टिंग के लिए आर्डर जारी करने के बाद, स्थानांतरण/पोस्टिंग के लिए कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

- (i) सीसीएस नियमावली, 1964 के नियम 20 में बताए गए अपनी पसंदीदा पोस्टिंग के लिए आगे के अनुरोध हेतु कोई सीएलएस अधिकारी राजनीतिक दबाव डालने का प्रयास नहीं करेगा जो यह निर्धारित करता है कि "कोई सरकारी कर्मचारी सरकार के तहत अपनी सेवा से संबंधित मामलों के संबंध में अपने हित के लिए किसी भी उच्चाधिकारी पर कोई भी राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव डालने का प्रयास नहीं करेगा"। उक्त नियम का कोई भी उल्लंघन होने पर इसे गंभीरता से लिया जायेगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित सख्त कार्रवाई आचरण नियम के प्रावधानों के तहत ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- (ii) स्थानान्तरण/पोस्टिंग का फैसला करते समय, नौकरी की आवश्यकता की तरह प्रशासनिक आवश्यकताएं, कौशल और अनुभव और सेवारत अधिकारियों के खिलाफ शिकायत, सतर्कता मामलों को भी ध्यान में रखा जाएगा।
- (iii) स्थानांतरण समिति (टीसी) में सीएलएस डिवीजन के प्रभारी अपर सचिव/संयुक्त सचिव, महानिदेशक (श्रम कल्याण), और मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) शामिल होंगे। समिति अधिकारियों से प्राप्त अनुरोधों/अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद और यहाँ दिए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों के स्थानांतरण/पोस्टिंग की सिफारिश करेगी, यदि कोई हो, और अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।
- (iv) स्थानांतरण समिति की सिफारिशों को श्रम और रोजगार के माननीय मंत्री का बशर्ते अनुमोदन उन अधिकारी को प्राप्त होगा जो सक्षम अधिकारी हैं।

उपरोक्त दिशानिर्देश केंद्रीय श्रम सेवा के सभी अधिकारियों और मंत्रालय/विभाग/संगठन को वहाँ भेजा जाता है जहाँ सीएलएस अधिकारियों की नियुक्ति उनकी जानकारी प्राप्त करने और कड़ाई से अनुपालन करने के लिए किया जाता है।

यह माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुमोदन से जारी।

(बाबू चेरीयन)

भारत सरकार के उप सचिव

टैली-फैक्स: 23753079

प्रति

सभी केन्द्रीय श्रम सेवा के अधिकारियों को

सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि:

1. संयुक्त सचिव एवं डीजीएलडब्ल्यू, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली
2. मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली
3. अध्यक्ष एवं महानिदेशक, आयुध निर्माणी बोर्ड, कोलकाता
4. शहरी विकास मंत्रालय, मुद्रण निदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
5. शहरी विकास मंत्रालय, महानिदेशक (कार्य), निर्माण भवन, नई दिल्ली
6. श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली
7. श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), नागरिक कार्मिक निदेशालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना), 'ए' ब्लॉक, नई दिल्ली
8. श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), मास्टर जनरल आयुध शाखा, रक्षा मंत्रालय (सेना), विंग-II, ब्लॉक-3, पहला तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली
9. श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन, रक्षा मंत्रालय, जी-ब्लॉक, नई दिल्ली
10. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (केन्द्रीय अस्पताल), निर्माण भवन, नई दिल्ली
11. कृषि मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डीएमएस), कृषि भवन, नई दिल्ली
12. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया, प्रौद्योगिकी भवन, महरौली रोड, नई दिल्ली
13. महासचिव, सीएलएस ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं 608, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली
14. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग {श्री जे.ए. वैद्यनाथ, निदेशक(ई)} नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - ओ.एम. सं. 11013/10/2013-स्था.-ए दिनांकित 10/12/2013 के संबंध में।

उनकी आवश्यकतानुसार, ग्रुप 'ए', 'बी', एवं 'सी' कर्मचारियों की श्रेणियों के संबंध में उनके नियंत्रण के तहत, इसी तरह की नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करने के लिए प्रतिलिपि अग्रेषित।

1. जेएस एवं डीजीईएंडटी - रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक के संबंध में
2. जेएस एवं डीजीएलडब्ल्यू - कल्याण प्रशासक और अन्य संवर्ग के संबंध में
3. एलईए - श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़ के संबंध में
4. सीएलसी(सी) - एलईओ (सी) और अन्य संवर्ग के संबंध में
5. डीएस(बीएलएम) - डीजीएफएसएलआई एवं डीजीएमएस के संबंध में
6. डीएस(एलएम) - अधिकारियों/कार्यकर्ताओं को एडीएम.।।। द्वारा नियंत्रित के संबंध में

जानकारी के लिए प्रति:

माननीय एलईएम के पीएस, माननीय एमओएस (एलएंडई) के पीएस, सचिव (एलएंडई) के पीएसओ, जेएस(एपी)।